

उद्योग न लगाने वालों से वापस लेंगे जमीनें

05/05/2022

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। शहरों में लीज रेंट की जमीन कौड़ियों के दाम पर लेकर बेकार छोड़ने वालों से इसे वापस लेने की तैयारी है। इन जमीनों को लेकर जरूरत के आधार पर सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही आवंटियों को इन जमीनों को फ्री होल्ड कराने की सुविधा दी जाएगी। आवास विभाग इसके लिए नई नीति लाने जा रहा है, जिसे जल्द ही कैबिनेट से मंजूर कराने की तैयारी है।

शहरी क्षेत्रों में गैर जरूरी जमीनों को पहले लीज रेंट पर आवास या उद्योग लगाने के लिए दिया जाता था। जमीनों शहरी क्षेत्रों में उद्योग के लिए दी गई काफी संख्या में ऐसी जमीनें हैं, जिन पर उद्योग नहीं लगाए गए। जहां उद्योग लगाए गए हैं वे शहर के बीचों-बीच आ गए हैं। शहरी क्षेत्र में उद्योग के लिए दी गई जमीनें जो अभी भी खाली पड़ी हैं, या फिर आवंटन खत्म हो चुका है और उसका कोई विधिक वारिस नहीं है। ऐसी जमीनों को वापस लेकर विकास प्राधिकरणों को दे दिया जाए या फिर उस पर सामुदायिक सुविधाएं विकसित की जाएं, जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

फ्री होल्ड की मिलेगी सुविधा: इसके साथ ही वाजिब कारणों के साथ जो भी आवंटी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन को फ्री होल्ड कराना चाहता है उसके पक्ष में इसका शुल्क लेकर फ्री होल्ड किया जाएगा। प्रत्येक शहर के लिए अलग-अलग शुल्क लिया जाएगा। आवास विभाग का मानना है कि जमीनों को फ्री होल्ड करने से विकास प्राधिकरणों की आमदनी होगी और जिन मामलों में विवाद की स्थिति है, उसका समाधान होगा। आवास विभाग ने प्रस्तावित नीति पर 18 जनवरी 2022 तक आपत्तियां मांगी थीं, इसका निस्तारण हो चुका है।



कौड़ियों के भाव दी गई लीज रेंट की जमीनें अब भी पड़ीं खाली

**प्रमुख शहर जहां हैं सबसे अधिक हैं जमीनें
शहर जमीनों की संख्या कुल वर्ग मीटर**

लखनऊ 3434 834902.27

गाजियाबाद 4735 1355119.82

प्रयागराज 171 60183.69

कानपुर 233 2789935.80

आगरा 332 212035.00